न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :04/2020 प्रार्थना पत्र
उनवान

प्राधिकृत अधिकारी – इंडियन बैंक, शाखा बसन्त विहार, भीलवाडा।	**बनाम**	श्री सोहन लाल बैरवा पुत्र श्री बरदी चन्द बैरवा, श्री किशन बैरवा पुत्र सोहन लाल बैरवा पता– ई–233, आजाद नगर, माताजी के मन्दिर के पास, भीलवाडा एवं अन्य।
— प्रार्थी		**—अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

प्राधिकृत अधिकारी– अजीत एम नायर।

निर्णय

दिनांक : 13-/-2020

प्राधिकृत अधिकारी, अजीत एम नायर, इण्डियन बैंक, शाखा– बसन्त विहार, भीलवाडा की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया। जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी। जिसमें अप्रार्थी को 15,00,000/– रुपये का ऋण दिनांक 06.12.2016 को स्वीकृत किया गया। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर भूमि व भवन जो अचल सम्पति – रहवासी प्लॉट नं. बी– 84, बी–85, बी–123, आराजी नं. 167, ग्राम आटुण, जिला भीलवाडा में स्थित है, भूमि का क्षेत्रफल 2100 वर्गफीट है। दिनांक 14.05.2019 तक कुल बकाया ऋण की राशि 13,76,087.76/–रूपये है। अप्रार्थी के द्वारा तयशुदा शर्तो के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को दिनांकः 24.04.2019 को नो परफोर्मिग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।